

19/8
25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व वादी
को आवाज लगाई गई। बार-बार आवाज
लगाने के बावजूद भी वकील वादी व वादी
न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर वादी
का वाद अहम हाजरी अहम परकी में
खारिज किया जाता है पत्रावली फलत
कुमार होकर नम्बर कम होकर दाखिल

दफ्तर है। Ramu,

उपखण्ड अधिकारी
बान्सारामगढ़